

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 21 मई, 2021

संख्या 16/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 57/जीएसटी-2, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 57/जीएसटी-2, दिनांक 26 अप्रैल, 2019, में, तृतीय पैरा में, -

- (i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि उक्त व्यक्ति, 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 31 मई, 2021 तक हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेंगे।"

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 2021 के 30 वें दिन से लागू की गई समझी जाएगी ।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification**

The 21st May, 2021

No.16/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.57/GST-2, dated the 26th April, 2019, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.57/GST-2, dated the 26th April, 2019, in the third paragraph,-

- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted ;
- (ii) the following proviso shall be added, namely:-

“Provided further that the said persons shall furnish the return in **FORM GSTR-4** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2021, till the 31st day of May, 2021.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of April, 2021.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.